

डिग्री बमुकदमें ईबतदाई  
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता  
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी  
पीठासीन अधिकारी-मीनू वर्मा आर.ए.एस.  
प्रकरण संख्या:- 126/2019

1. अरविन्द कुमार पुत्र कुलदीप कुमार नाबालिग जरिये कुदरती वली माता सोनू देवी  
पत्नी कुलदीप कुमार जाति जाट निवासी मेहरवाला तहसील टिब्बी जिला  
हनुमानगढ।

वादी

बनाम्


1. राजाराम पुत्र पेमराम } जाति जाट निवासी मेहरवाला तहसील टिब्बी जिला  
2. कुलदीप कुमार पुत्र राजाराम } हनुमानगढ।  
3. रविना पुत्री कुलदीप कुमार नाबालिग जरिये पिता कुलदीप कुमार जाति जाट  
निवासी मेहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ मीनू वर्मा आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इनफिसाल  
कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री सुभाषचन्द्र गर्ग वकील वादी मिन जाभिन मुदई श्री  
महावीरप्रसाद वर्मा प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व  
डिग्री दी जाती है कि चकनं 13 एस.एल.डबल्यू के प0न0 193/320 मु0 32 किलानं0  
15/1/.228, 15/2/.025 खाला गै0मु0, प0न0 194/320 मु0 31 किलानं0 10,11,  
प0न0 194/321 मु0 48 किलानं0 6, 12/2/.190, 13/2/ .126, 15, 19/2/  
190 है0 आराजी का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर चकनं 13  
एसएल डबल्यू के खाता सं0 106 में से प्रतिवादीसं0 1 राजाराम का हिस्सा कम किये  
जाने के आदेश दिये जाते है।इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे।उक्त  
आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल  
दरामद किया जावे।

निज.....निल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत्.....निल.....खर्चा  
मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक .....

.....अदा करें।  
बसबत मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक.....3-9-19.....को जारी  
किया गया।



(मीनू वर्मा) एवं  
सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी